न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 16/15/टीआई

गोपाल सिंह पुत्रश्री जगदीश सिंह आुय 37 साल जाति दरोगा निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र पीरू आुय 70 साल
2. प्रहलाद सिंह पुत्र जगदीश सिंह आयु 25 साल
   समस्त जाति दरोगा निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
4. पटवारी हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिलासीकर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1- श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री अनिल शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक– 06.07.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 204, 205, 208, 209 किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 जिसके पुराने ख.नं. 146 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा तन ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां आवेदक व अनावेदक सं. 1 ता 2 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां है। जो पूर्व में आवेदक एवं अनावेदक सं. 2 के दादा एवं अनावेदक सं. 1 के पिता स्व. पीरू के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में पूर्वजों के समय से बजमाना जागीर में दर्ज चली आ रही है। पीरू के फौत हो जाने पर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विरासत के आधार पर अनावेदक सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। आवेदक व अनावेदक सं. 1 आपस में पिता पुत्र है तथा आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 व 2 का सजरा खानदान इस प्रकार से है :–

पीरू (फौत)
⇓
जगदीश सिंह (अनावेदक सं. 1)
⇓
गोपाल सिंह (आवेदक) प्रहलाद सिह(अनावेदक सं. 2)

उक्त कृषि भूमियां आवेदक की संयुक्त पैत्रिक संपति है। जिसमें आवेदक का 1/6 हक हिस्सा पैत्रिक है। आवेदक अपने उक्त पैत्रिक हक व हिस्से पर काबिज है। आवेदक अपने उक्त हिस्से की भूमियों के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

का अधिकारी है। विवादित भूमियों में आवेदक व अनावेदक सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा पैत्रिक है तथा दावे में प्रतिवादी सं. 3 ता 5 का 1/2 हक हिस्सा है। विवादित भूमियों का विधिवत बाई मिट्सस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक के पिता अनावेदक सं. एक 70 वर्षीय अति वृद्ध व्यक्ति है इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अनावेदक सं. 2 व आवेदक से द्वेषता रखने वाले लोगों ने मिलकर आवेदक के पिता अनावेदक सं. 1 को बहका कर अपने प्रभाव में कर रखा है तथा आवेदक को उसका हक हिस्सा न देकर हड़पने की कुचेष्टा कर रहे है तथा आवेदक के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर बेदखल करने एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप कर रहे है तथा बेचान व हस्तांतरित करने पर आमादा है। इस हेतु अनावेदक सं. 2 ने अनावेदक सं. 1 से साज कर रखी है। अगर अनावेदकगण अपने कपटपूर्ण इरादे में कामयाब हो गये तो आवेदक की एकमात्र पैत्रिक संपति उसके अधिकार से छिन जावेगी। आवेदक को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी। आवेदक के बहुमूल्य सांपतिक अधिकारों का हनन होगा तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राथी/आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है। प्रार्थी/आवेदक अपने पैत्रिक हक व हिस्से पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है तथा 3मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अगर अनावेदकगण आवेदक को बेदखल करने में कामयाब हो गये तो आवेदक को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। अतः आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदकगण को आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमियों में आवेदक के पैत्रिक हक व हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा विवादित भूमियों को अन्यत्र अंतरण रहन, बेचान व हस्तांतरण करने से बाज रहे एवं अनावेदक सं. 3 को विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने तथा अनावेदक सं. 4 व 5 को विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री अनिल शर्मा उपस्थित हुए व जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आवेदन की मद सं. 2 जिस प्रकार से तहरीर की गयी है राजस्व रिकार्ड के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि अनावेदक सं. 1 की संपदा है। उक्त कृषि भूमि में आवेदक व अनावेदक सं. 2 का कोई हक हिस्सा नहीं है। आवेदन की मद सं. 3 गलत है अस्वीकार है। आवेदक द्वारा सजरा खानदान गलत रूप से तहरीर होने के कारण आवेदक का आवेदन चलने योग्य नहीं है। सजरा खानदान इस प्रकार है:–

जगदीश सिंह

↓

नाथी(पुत्री) सुरज्ञान(पुत्री) गोपालसिंह (पुत्र) प्रहलादसिंह (पुत्र)

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

आवेदन की मद सं. 4 जिस प्रकार से तहरी की गयी है उसमें आवेदन प की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियों के 1/2 हिस्से के अनावेदक सं. 1 जगदीश सिंह ही रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार की कृषि भूमि है। जिसमें अनावेदक सं. 1 ही अपने कब्जे के आधार र 50 वर्षो से बा जोत कर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा हैं। आवेदन की मद सं. 5 गलत है इसलिए अस्वीकार है। चूंकि उक्त कृषि भूमि को बा जोत कर अपनी पुत्रियों व पुत्रों का विवाह व उनका भरण पोषण किया। अब अनावेदक सं. 1 को उक्त कृषि भूमियों से बेदखल करने की कुचेष्टा आवेदक अन्य भूमाफिया गिरोह से मिलकर कर रहा है जिसका आवेदक को कोई हक अधिकार नहीं है। चूंकि आवेदक का उक्त कृषि भूमियों पर कोई हक हिस्सा नहीं होने से आवेदक बाइ मिट्सस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने का भी अधिकारी नहीं है इसलिए आवेदक का आवेदन खारिज होने योग्य है। आवेदन की मद सं. 6 गलत है अस्वीकार है। बिना कब्जा व बिना काश्त के आवेदक का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदक अनावेदक सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी नहीं है। आवेदन की मद सं. 7 गलत है अस्वीकार है। अनावेदक सं. 1 ने कोई कपट नहीं किया गया है बल्कि वादी ही अनावेदक सं. 1 की एकमात्र कृषि भूमि का गलत तथ्यों के आधार पर अपनी संपदा बताकर अनावेदक सं. 1 से छीनने की कुचेष्टा करने की कोशिश कर रहा है। आवेदन की मद सं. 3 गलत है अस्वीकार है। आवेदक का आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित होने से इस मद में वर्णित न्याय के सिद्धान्त के तीनों बिन्दु आवेदक के पक्ष में न होकर उतरदाता के पक्ष में होने से आवेदक उतरदाता को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। आवेदक का आवेदन प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन के तथ्यों को बहस मानी जाकर आवेदक का आवेदन खारिज फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील आवेदक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में 1/2 हि. आवेदक व अनावेदक सं. 1 व 2 की संयुक्त पैत्रिक भूमियां है जो पूर्व में आवेदक व अनावेदक सं. 2 के दादा व अनावेदक सं. 1 के पिता स्व. पीरू दरोगा के कब्जे काश्त में पूर्वजों के समय से ही ब–जमाना जागीर से चली आ रही है। पीरू की मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातदोरी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विरासत के आधार पर जरिये ना.करण सं. 86 दिनांक 26.8.1962 को अनावेदक सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। विवादित भूमियों की पुरानी व नई जमाबंदी की नकलें व मिलान क्षेत्रफल की नकल पूर्व से ही आवेदन के साथ पेश की जा चुकी है। विवादित भूमि के पुराने खसरा नं. 146 तन ग्राम सुरेरा की जमाबंदी संवत् 2021–24 में जरिये ना.करण सं. 86 विरासत पीरू से अमल दरामद होना स्पष्ट रूप से अंकन है इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि विवादित भूमियों में 1/2 हि. प्रार्थी/आवेदक व अनावेदक सं. 1 व 2 का संयुक्त पैत्रिक हिस्सा है। आवेदक व अनावेदक सं. 1 आपस में पिता–पुत्र है तथा अनावेदक सं. 2 आवेदक का भाई है। विवादित भूमियों में से 1/2 में प्रार्थी का 1/6 हक व हिस्सा पैत्रिक है तथा आवेदक अपने उक्त पैत्रिक हक व हिस्से पर काबिज रह कर निरंतर व निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग कर रहा है। आवेदक के पिता अनावेदक सं. 1 जगदीशसिंह 70 साल के वृद्ध व्यक्ति है जिनकी

ण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वृद्धावस्था का लाभ उठाकर अनावेदक सं. 2 व आवेदक से द्वेषता रखने वाले लोगों ने मिलकर आवेदक के पिता अनावेदक सं. 1 को बहका कर अपने प्रभाव में कर रखा है। अनावेदक सं. 1 आवेदक के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होने की वजह से विवादित भूमियों को रहन, बेचान व अन्यत्र अंतरण करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने आवेदन के जवाब व अन्य किसी भी दस्तावेज से इस बात का खण्डन नहीं किया है कि विवादित भूमियों में से अनावेदक सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हि. पैत्रिक नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर अप्रार्थीगण विवादित भूमियों को रहन, बेचान या अन्यत्र अंतरण करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने एकमात्र पैत्रिक हक व हिस्से से वंचित हो जावेगा तथा आवेदक को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में मुद्रा के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का वेदन अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमियों में आवेदक के पैत्रिक हक व हिस्से की भूमियों के उपयोग व उपभोग व कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने व विवादित भूमियों को अन्यत्र अंतरण करने, करवाने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 को विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावें।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम सुरेरा की जमाबंदी संवत् 2021–24 में जरिये ना.करण 86 के विरासत का उल्लेख है इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की पैत्रिक संपदा है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पैत्रिक भूमियों में खातेदार के पुत्र–पुत्रियों का समान अधिकार प्रदत्त है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी एवं अप्रार्थीसं. 1 व 2 का समय रूप से है तथा विवादित भूमियों में से हिस्से से अधिक बेचान, रहन करने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को भी होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार विवादित आराजियात ख. नं. 204, 205, 208, 209 किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 जिसके पुराने ख.नं. 146 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा तन ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 व खातेदार जगदीशसिंह के अन्य वारिसान के समान रूप से हक अधिकार है। अतः विवादित आराजियात ख.नं. 204, 205, 208, 209 किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 तन ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की प्रार्थी के हिस्से तक अन्यत्र बेचान व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तादौराने दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ख.नं. 205 रकबा 0.17